न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4394 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-9-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 172/अपील/15-16

कु0महिमा पटैल (नाबालिक)
पुत्री स्व0 आरती पटैल
मार्फत बली संरक्षक श्रवणसिंह पटैल आत्मज शंकर पटैल
निवासी ग्राम रेवाबनखेड़ी, तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

.....आवेदक

विरूद्ध

रामाजी पटैल आत्मज श्री मानक पटैल
निवासी रघुवंशीपुरा तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री जे0पी0शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम हथवासा स्थित भूमि खसरा नम्बर 165/48 रकबा 0.02 एकड़ तथा खसरा नम्बर 165/49 रकबा 0.01 एकड़ कुल भूमि रकबा 0.03 एकड़ स्व0 आरती पटैल के द्वारा क्रय की गई थी, जो अनावेदक की पत्नि थी । आरती पटैल की मृत्यु के बाद प्रश्नाधीन भूमि के फौती नामान्तरण वारिसान हक में पुत्री महिमा पटैल आ0 रामजी पटैल एवं मृतक के पति रामजी पटैल का नाम राजस्व अभिलेख में संशोधन पंजी पर दर्ज किया गया जिसका प्रमाणीकरण दिनांक 30-5-12 को किया गया । उक्त नामान्तरण संशोधन के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपील के लंबित रहने के दौरान ही आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के निर्णय दिनांक 14-8-14 के अनुसार आवेदक के नाना को संरक्षक बनाये जाने की घोषणा के संबंध में क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद ऑशिक रूप से निरस्त किया । इसके उपरांत अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 8-1-16 को आदेश पारितकर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक महिमा पटैल संरक्षक उसके नाना श्रवणसिंह आ0शंकरसिंह पटैल के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-9-17 को आदेश पारित अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 8-1-2016 को जो आदेश पारित किया है वह आदेश व्यवहार न्यायालय के आदेश के क्रम में पारित किया है अनावेदक का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नहीं हुये । यह भी कहा गया कि स्व0 आरती पटैल का कभी भी रामजी पटैल से कोई विवाह नहीं हुआ है । मात्र जान पहचान के कारण अनावेदक स्व0आरती पटैल की भूमि हडपना चाहता है किन्तु द्वितीय अपील में ऑशिक रूप से स्वीकार किये जाने में विधि की भूल की है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 8-1-16 को जो आदेश पारित किया गया उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं की है, बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है । अनावेदक का उद्देश्य मात्र स्व0आरती पटैल की भूमि हड़प करने की रही है, कारण से अनावेदक की अपील निरस्त किये जाने योग्य थी, किन्तु अपर आयुक्त ने ऐसा न करते हुये अनावेदक की ओर से प्रस्तुत

अपील को ऑशिक रूप से स्वीकार किये जाने की विधि की गंभीर भूल की है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक ने आरती पटैल की मृत्यु के बाद आरती पटैल की वारिस पुत्री महिमा पटैल एवं स्वयं का नाम पति होने के कारण राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जिसमें पटवारी के समक्ष आरती पटैल की पुत्री महिमा का जन्म प्रमाण पत्र एवं पत्नि आरती पटैल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा15 के तहत किसी हिन्दु महिला की संपत्ति उसकी मृत्यु के उपरांत धारा 16 के तहत बने नियमों के अनुसार होगी ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कु0महिमा पटैल नाबालिग पुत्री आरती पटैल संरक्षक श्रवणसिंह आत्मज शंकरसिंह का नामान्तरण स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील किये जान पर उनके द्वारा आदेश पारित करते हुये ऑशिक रूप से अपील स्वीकार की जिसमें आदेश में ऐसी स्थिति में संशोधन दिनांक 30-5-12 एवं अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 8-1-16 निरस्त किया गया, द्वितीय अपील ऑशिक स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर महिमा पटैल नाबालिग के नाम फौती नामान्तरण दर्ज किया जावे व संरक्षक हेतु माननीय जिला न्यायाधीश के अंतिम निर्णय अनुसार ही राजस्व अभिलेख में संरक्षक का नाज दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है, और जब तक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय या खुर्द बुर्द नहीं करने के आदेश दिये गये । उक्त परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश तो अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया है किन्तु अपर आयुक्त ने आदेश में जो शर्ते लगाकर आदेश दिया है वह विधि अनुकूल नहीं है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया कि कुमारी महिमा पटैल के संरक्षक बतलाते हुये जो निगरानी प्रस्तुत की गई है उसे निरस्त किया जाये तथा प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसकी पुष्टि किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में यद्यपि अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कोई अधिकार नहीं माना है, जो कि सही है, लेकिन उन्होंने आवेदिका के नाना का नाम संरक्षक से हटा दिया है जिससे आवेदिका को उसकी भूमि के अनावेदक द्वारा खुर्द-बुर्द करने की संभावना व्यक्त की है । व्यवहार न्यायालय ने दिनांक 14-8-

2014 के आदेश में महिमा के नाना को उसका संरक्षक माना है, अत: जब तक किसी अन्य न्यायालय से उक्त आदेश निरस्त नहीं होता है, तब तक संरक्षक के तौर पर उनका नाम दर्ज रखना ही उचित होगा । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-9-2017 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-1-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर